निविदा

राज्य यक्ष्मा दवा भंडार, अगमकुआँ, पटना-7 से प्रत्येक तीन माह पर राज्य के 37 जिला मुख्यालय स्थित जिला यक्ष्मा केन्द्र भंडार में एवं चिकित्सा महाविद्यालय भंडार में यक्ष्मा निरोधी दवा/मुद्रित सामग्री भेजने के लिए भाड़े की ट्रक की आवश्यकता है।

इच्छुक फर्म, ट्रक मालिक सील बंद प्रस्ताव निबंधित डाक द्वारा प्रेषित करें।

निविदा जमा करने की अंतिम तिथि :- 15.10.09

निविदा जमा करने एवं खोलने का स्थानः- राज्य स्वास्थ्य समिति

निविदा खोलने की तिथि एवं समय :- 22.10.09

नियम एवं शर्ते

1. यह निविदा वर्ष 2009-10 के लिए है। जिसमें वर्ष में चार बार यथा अक्टुबर 2009, जनवरी 2010, अप्रील 2010 एवं जुलाई 2010 में दवा राज्य यक्ष्मा दवा भंडार, अगमकुआँ, पटना-7 से यक्ष्मा निरोधक दवा (जो सील बंद कार्टून में रहेंगें) एवं प्रिंटेड मटेरियल को ट्रक में लादकर राज्य के 37 जिलों के जिला यक्ष्मा केन्द्र एवं चिकित्सा महाविद्यालय भंडार में पहुँचाना है।
2. दवा/ मुद्रित सामग्री उठाने के बाद रूट चार्ट का अनुपालन करते हुए जिले के दवा भंडार में पाँच दिनों के अन्दर दवा पहुँचाना है।

   (क) हाजीपुर, छपरा, सीवान, गोपालगंज, बेतिया, मोतिहारी, सीतामढ़ी एवं शिवहर।

   (ख) बेगूसराय, खंगड़िया, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया एवं कटिहार।

   (ग) नालन्दा, नवादा, शेखपुरा, जमुई, बांका, भागलपुर, मुँगेर एवं लखीसराय।

   (घ) जहानाबाद, अरवल, गया, औरंगाबाद, सासाराम, कैमूर, बक्सर, एवं आरा।

   (ड़) मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी एवं समस्तीपुर।
3. दवा/ मुद्रित सामग्री को सुरक्षित हालत में जिलों को पहुँचाना अनिवार्य होगा तथा उसमें किसी तरह का नुकसान होने पर उसकी कीमत वसूल की जाएगी।
4. निविदादाता को निविदा स्वीकृति के बाद 50,000/- (पचास हजार) रूपये की जमानत राशि राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के पक्ष में भुगतेय बैंक ड्राफ्ट के रूप में देनी होगी । दवा एवं मुद्रित सामग्री पहुँचाने के बाद उसकी प्राप्ति रसीद वापस कार्यालय में समर्पित करना होगा।
5. कार्य संतोषजनक होने पर अनुबंध अवधि विस्तारित करने पर विचार किया जा सकता है।

कार्यपालक निदेशक

राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार